੧ੳ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी. (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्र.का. लेखा एवं लेखा परिक्षा विभाग
"शेयर कक्ष" बैंक हाऊस, प्रथम तल,
21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

संदर्भ/Ref. No.
Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2019-20

दिनांक/Dated: **October 16, 2019**

To,

Bombay Stock Exchange Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Reg: Publication of Notice for Extraordinary General Meeting on 11th November 2019

This is in continuation to our letter dated 15/10/2019 informing stock exchanges about Extraordinary General meeting of the Bank scheduled to be held on Monday, 11th November 2019 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

We are forwarding a copy of notice of Extraordinary General Meeting published in Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper) on 16.10.2019.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Vinay Khandelwal]
Company Secretary

Jansatta

16|10|2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

वेबसाइट: www.psbindia.com

सूचना

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) अधिनियम 2008 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की **असाधारण सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलिज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में सोमवार, 11 नवंबर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी।** इसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मद संख्या 1: अधिमान के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 (जिसे इसके बाद "विनियमन" कहा जाएगा) के साथ गठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में "अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में 'निदेशक मंडल' कहा गया है, जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो/की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मण्डल द्वारा इक्विटी के माध्यम से जिसका अंकित मूल्य रू. 10/- प्रति शेयर है, को रु. 787 करोड़ के शेयरों को अधिमान के आधार पर निर्धारित मूल्य रू. 24.37/- प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें रू. 14.37 का प्रीमियम प्रति इक्विटी शेयर सम्मिलित है), सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम के विनियम 164 (1) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 322938038 शेयर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आवंटन करें"।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि अधिमान के आधार पर ऊपर उल्लेखित न्यूनतम निर्गम मूल्य, निर्धारित असाधारण सामान्य बैठक से 30 दिन पहले अर्थात् तिथि 11.10.2019 (क्योंकि 12.10.2019 सप्ताहांत है) प्रासंगिक है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आवंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आवंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा और सेबी आईसीडीआर अधिनियमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों की शर्तों के अंतर्गत होंगे जैसा कि "सेबी आईसीडीआर अधिनियमों" की अपेक्षा के अनुसार अवरूद्धता अवधि की अनिवार्यताओं के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेज़ों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की ज़रूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14 अक्टूबर, 2019

ई-वोटिंग प्रक्रिया

- दूरस्थ मतदान प्रक्रिया की दिनांक 08.11.2019 को प्रातः 10 बजे आरंभ होगी और दिनांक 10.11.2019 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 04.11.2019 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ मतदान की प्रक्रिया रोक दी जाएगी, अर्थात दिनांक 10.11.2019 को सायंकाल 5.00 बजे के बाद मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सदस्यों को दिनांक 04 नवंबर, 2019 की कट-ऑफ तारीख के अनुसार बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में मतदान का अधिकार होगा।
- कोई व्यक्ति कट-ऑफ तारीख अर्थात दिनांक 04 नवंबर, 2019 तक बैंक का शेयर अधिगृहीत करता नोटिस भेजे जाने के उपरांत बैंक का सदस्य बनता है वे ई-मतदान हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड हेतु बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर स्थानांतरण एजेंट, मैसर्स लिंक इनटइम इंडिया (प्रा) लिमिटेड को लिख सकते हैं, या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं।
- बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है उन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वे ईजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना वोट डाला है, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं परंतु वे अपना वोट पुनः डालने के हकदार नहीं होंगे।
- अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किए गए व्यक्ति परिणामों के साथ, संवीक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट पर डालेगा। घोषित परिणाम को तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजे जाएंगे जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQ") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई-वोटिंग मैनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई) मुम्बई-400013, या श्री भारत भूषण, एसोसिएट उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, लिंक हाइट्स प्रथम तल, प्लॉट संख्या 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री बाजार के नजदीक जनकपुरी नई दिल्ली-58 दूरभाष नं. 011-41410592, 41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई-मेल करें।

CERTIFIED TRUE COPY

Punjab & Sind Bank H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) Rajendra Place, New Delhi-8

Financial Express 16/10/2019

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110 008.

Website: www.psbindia.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 57 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK will be held on **Monday, the 11th day of November, 2019, at 10.00 A.M.** at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085, to transact the following special business:

Item No. 1: Issue of Equity Shares on Preferential Basis.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolutions(s) as Special Resolution(s):

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "**Act**") read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "**Scheme**") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "**Regulations**") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**SEBI (ICDR) Regulations**], **SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 (SEBI (LODR) Regulations)**, as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**Board**") which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot up to 322938038 Equity Shares to the President of India (Government of India) on preferential basis, of the face value of Rs. 10/- each on preferential basis at an issue price of Rs.24.37 per Equity Share (including premium of Rs.14.37 per Equity Share) determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations as amended from time to time amounting to Rs.787 Crore (Rupees Seven Hundred Eighty Seven Crore only)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the **Relevant Date** for the preferential issue, for determination of minimum price of the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 11.10.2019 (12.10.2019 being weekend), being the date 30 days prior to the date of EGM."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialised form and shall be subject to lock-in requirements required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines or any other law that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the Equity Shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 14th October, 2019

(S Harisankar)
MD & CEO

E-VOTING

- The remote e-voting period begins on Friday, 08th November, 2019, at 10.00 A.M. and ends on Sunday, 10th November 2019, at 5 P.M. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 04th November 2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M., 10th November, 2019. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 04th November, 2019.
- Any person, who acquires shares of the Bank and become Member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date, i.e. 04th November, 2019, may write to Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India (P) Ltd., or send an email at helpdesk.evoting@cdslindia.com to obtain login ID and password for participating in e-voting.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting through ballot paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The results declared, alongwith the report of the Scrutiniser, shall be placed on the website of the Bank www.psbindia.com and on the website of CDSL, immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the Equity Shares of the Bank are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 or call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone - 41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

CERTIFIED TRUE COPY

Punjab & Sind Bank H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) Rajendra Place, New Delhi-8